

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

रा0प्र0क0/2025050426000/अ-62/202-2 साकिन रोडोपाली

1

2

3

01.05.2025

प्रकरण प्रस्तुत।

आवेदक श्री सतीश शर्मा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा इस कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना खरसिया से धरमजयगढ़ एवं घरघोड़ा से गारे-पेलमा (स्पर लाईन) का निर्माण किया गया है जिसमें ग्राम रोडोपाली पटवारी हल्का नंबर 14 तहसील तमनार स्थित कुल खसरा नंबर 13 कुल रकबा 5.320 हे. निजी भूमि अर्जन हुआ है। उक्त भूमि पर स्थित कुल 181 वृक्षों का विदोहन किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है। अतः छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 240-241 के तहत निर्मित नियमों के अधीन प्रदान किया जाना है।

2- प्रकरण मद अ-62 में पंजीबद्ध किया गया।

3- प्रकरण में तहसीलदार तमनार एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र तमनार से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्ररूप 'ख' में लिया गया।

तहसीलदार तमनार एवं वनपरिक्षेत्र अधिकारी तमनार द्वारा प्ररूप 'ख' में संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 181 मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं इस न्यायालय में संधारित भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2023-24 आदेश दिनांक 03 जुलाई 2024 के तहत ग्राम रोडोपाली स्थित कुल खसरा नंबर 13 कुल रकबा 5.320 हे. एवं उस पर स्थित विभिन्न प्रकार के कुल 181 वृक्षों का भू-अर्जन हुआ है।

अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक आर/363/2023/7-1 दिनांक 06 जुलाई 2023 के अनुसार स्पर रेलवे लाईन में प्रभावित ग्राम रोडोपाली स्थित अर्जित निजी भूमि रकबा 5.320 हे. में स्थित कुल 181 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष (मुआवजा पत्रक 'ग' संलग्न) हैं, को आवेदक संस्थान की प्रतिनिधि की निगरानी में वन विभाग द्वारा कुल 181 वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दी जाती है।

आवेदक विभाग उक्त काटे जाने वाले वृक्षों के अनुपात में कार्यालय आयुक्त महोदय बिलासपुर संभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना दिनांक 27.02.2015 के बिन्दु क्रमांक 3 का पालन किया जावे।

आदेश तदनुसार पारित एवं घोषित।

आदेश की प्रति सर्वसंबंधित को भेजा जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

